

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक— / / 2022 ई०।

13/पी०₂-103/2020-

/सी० भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को

दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान Level-12 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

| क्र० | पदाधिकारी का नाम | बैच |
|------|------------------------------------|------|
| 1 | श्री अंशुमन कुमार, भा०पु०से० | 2013 |
| 2 | श्री प्रशान्त आनन्द, भा०पु०से० | 2013 |
| 3 | श्री हरि लाल चौहान, भा०पु०से० | 2013 |
| 4 | श्री हृदीप पी० जनार्दनन, भा०पु०से० | 2013 |
| 5 | श्रीमती निधि द्विवेदी, भा०पु०से० | 2013 |

(ii) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 13/पी०₂-103/2020-

/ राँची, दिनांक-

/ / 2022 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 13/पी०₂-103/2020-

1065/

राँची, दिनांक-

18/03

/ 2022 ई०।

प्रतिलिपि :- जोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि० राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

शैलेश
15.3.2022

सरकार के अवर सचिव।